फा.स. 11(2)/2005-लेखा एवं क्रय

भारत सरकार

संसदीय कार्य मंत्रालय

92,संसद भवन,
नई दिल्ली।

दिनांक 01-03-2011

सेवा में,

विषय: की टेलीफोन सिस्टम के लिए व्यापक अनुरक्षण संविदा-कोटेशन।

महोदय,

मुझे मंत्रालय में लगे निम्नलिखित की टेलीफोन सिस्टम के लिए 01.04.2011 से 31.03.2012 की अवधि के लिए व्यापक अनुरक्षण सेवा संविदा के लिए कोटेशन आमंत्रित करने का निदेश हुआ है। **केवल संबद्ध कंपनी के प्राधिकृत सेवा प्रदाता आमंत्रित किए जाते हैं।** मंत्रालय में लगाए गए सिस्टम का विवरण निम्न प्रकार से है।

क्रम संख्या	निम्नलिखित के कार्यालय में प्रचालित की-टेलीफोन सिस्टम	कमरा नं.	निर्माता
1.	माननीय संसदीय कार्य मंत्री का कार्यालय (डी सी एस-II)	14, संसद भवन,	सेमसंग
2.	राज्य मंत्री (वी.एन.) (डी सी एस-II)	64, संसद भवन,	सेमसंग
3.	राज्य मंत्री (अश्विनी कुमार) (डी सी एस-II)	56, संसद भवन,	सेमसंग
4.	सचिव का कार्यालय (डी सी एस-II)	8, संसद भवन,	सेमसंग
5.	माननीय संसदीय कार्य मंत्री का कार्यालय (सीमेन्स हाइकॉम बिजनेस कम्यूनिकेशन केटीएस)	110, संसदीय सौध	सीमेन्स

2. संविदा के लिए निम्नलिखित निबंधन और शर्तें होंगी :-

क) संविदा 01.04.2011 से 31.03.2012 तक एक वर्ष की अवधि के लिए होगी। बताई गई दरें संविदा की अवधि के दौरान लागू रहेंगी और किसी भी कारण दरों के संशोधन की किसी मांग पर विचार नहीं किया जाएगा।

ख) संविदा 'व्यापक अनुरक्षण सेवा' के लिए होगी अर्थात यदि किसी पुर्जे को बदले जाने की आवश्यकता है तो वह ठेके के अंतर्गत ही बदलना होगा और किसी अतिरिक्त पुर्जे के लिए मंत्रालय द्वारा कोई अतिरिक्त खर्च का भुगतान नहीं किया जाएगा। यह कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि वह मशीन के असली अतिरिक्त पुर्जे उपलब्ध करवाए और सभी मशीनों को चालू हालत में रखें।

ग) दरें सूचित करने से पहले इच्छुक फर्म सिस्टम्स की हालत की जांच कर सकती हैं। इस संबंध में वे अनुभाग अधिकारी (लेखा और क्रय) (टेलीफोन न.23034755) से संपर्क कर सकते हैं।

घ) टेंडरदाताओं को उपरोक्त की-टेलीफोन सिस्टम्स के अनुरक्षण का कम से कम तीन वर्ष का पिछला अनुभव होना चाहिए। टेंडरदाताओं को इस कार्य को करने के लिए अपनी सक्षमता सिद्ध करने के लिए प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए और अपनी प्रतिष्ठा और सुनाम का प्रमाण भी प्रस्तुत करनाचाहिए। टेंडरदाता को कोटेशन प्रस्तुत करते समय फर्म के पैन कार्ड की प्रति भेजनी चाहिए। फर्म के पैन कार्ड की प्रति के बिना प्रस्तुत की गई कोटेशंस को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

ङ) चयनित फर्म के लिए अपेक्षित अनुरक्षण सेवा मुहैया कराने के लिए तकनीकी और वृत्तिक रूप से सक्षम कार्मिक प्रतिनियुक्त करना आवश्यक होगा। पूर्ण निवारक सेवा प्रत्येक तिमाही में एक बार की जाएगी जिसे मंत्रालय द्वारा मोनिटर किया जाएगा। मशीन की मरम्मत के लिए सभी शिकायतों पर कार्यालय परिसर में शिकायत के 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाएगी। अतः कोटेशन में मालिक/फर्म के टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर का उल्लेख होना चाहिए।

च) अनुरक्षण शुल्क का भुगतान तिमाही की समाप्ति के पश्चात त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा। जब ठेकेदार के कारण उपकरण ठीक काम नहीं कर रहे होते हैं तो उस अवधि के दौरान कोई शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा।

छ) मशीनों को चालू रखने अथवा रिपोर्ट के 24 घंटे के अंदर खराबी को संतोषजनक रूप से ठीक करने के लिए फर्म की ओर से किसी चूक के कारण संविदा के मूल्य से यथानुपात कटौती, जैसा की सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाए, की जाएगी।

ज) ठेके की अवधि की समाप्ति पर मशीनों का कार्य करने की ठीक हालत में मंत्रालय को सौंपना भी ठेकेदार फर्म की जिम्मेदारी होगी, ऐसा न करने पर फर्म मंत्रालय को, सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित परिसमापन क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगी।

झ) टेंडरदाताओं के लिए कोटेशन के साथ वेतन और लेखा अधिकारी, मंत्रिमंडल कार्य, नई दिल्ली के नाम दिल्ली/नई दिल्ली में किसी अनुसूचित बैंक पर देय एक क्रॉस्ड डिमांड ड्राफ्ट द्वारा रु.3000/- (तीन हजार रुपये केवल) की बयाना राशि जमा कराना अपेक्षित होगा। सफल टेंडरदाता द्वारा जमा की गई बयाना राशि को संविदा की निबंधन और शर्तों

की उचित पूर्ति/निष्पादन हेतु प्रतिभूति जमा के रूप में मंत्रालय द्वारा रखा जाएगा।उक्त प्रतिभूति राशि को संविदाकार को देय राशि के समायोजन के अधीन रहते हुए संविदा के सफल समापन के पश्चात वापिस कर दिया जाएगा। अन्य असफल टेंडरदाताओं से प्राप्त प्रतिभूति राशि को बिना ब्याज के वापिस कर दिया जाएगा।

ञ) सरकार के पास किसी भी टेंडर को चुनने अथवा किसी एक या सभी टेंडरों को बिना कोई कारण बताए यथास्थिति अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है। सरकार के लिए न्यूनतम कोटेशन को स्वीकार करने और किसी भी टेंडरदाता की कोटेशन को अस्वीकृत करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण देना बाध्यकर नहीं होगा। इसके अतिरिक्त सरकार के पास बिना कोई कारण बताए, संविदाकार को एक महीने का नोटिस देकर, संविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

ट) संविदा को सेवा प्रदाता की संतोषजनक सेवा के अधीन रहते हुए आगे नवीकृत किया जा सकता है।

3. यदि उपरोक्त निबंधन और शर्तें स्वीकार्य हैं तो अवर सचिव (प्रशासन), संसदीय कार्य मंत्रालय, कमरा न.92, संसद भवन, नई दिल्ली को संबोधित संविदा सीलबंद लिफाफे में, जिसके ऊपर **'की-टेलीफोन सिस्टम के लिए व्यापक अनुरक्षण संविदा हेतु कोटेशंस'** लिखा हो, देर से देर 25 मार्च, 2011 को अपराहन 3.00 बजे तक अनुभाग अधिकारी (लेखा और क्रय), कमरा न. 93, संसद भवन (दूरभाष:23034755) की अभिरक्षा में रखे टेंडर बॉक्स में जमा किए जा सकते हैं। उस समय तक प्राप्त कोटेशंस 25 मार्च, 2011 को अपराह्न 3.30 बजे कमरा न. 92, संसद भवन, नई दिल्ली में खोली जाएंगी।

भवदीय,

ह0/-
(यू.एस.चट्टोपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन : 23034899